(169)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1369–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–04–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 718/2010–11/अपील.

शेर बहादुर सिंह तनय समयलाल सिंह
निवासी सिजहटा, तहसील रामपुर बाघेलान
जिला सतना म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. मुन्ना उर्फ मणिराज सिंह तनय
   समयलाल सिंह परिहार
2. मुत्र फूलमती उर्फ फुल्ली स्व0 तेजभान सिंह परिहार
3. लइची देवी पिता तेजभान सिंह परिहार
4. बुट्टी देवी पिता तेजभान सिंह परिहार
5. समयलाल सिंह पिता इन्द्रमणि सिंह
6. राजे सिंह तनय मकसूदरन सिंह
7. सकुन्तला सिंह पत्नी सुबेलाल सिंह
8. बालेन्द्र प्रताप सिंह तनय सुबेलाल सिंह
9. गुड्डी पुत्री अवधराज सिंह
10. पुष्पा पुत्री अवधराज सिंह

निवासीगण ग्राम सिजहटा, तहसील रामपुर
बाघेलान जिला सतना म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी एवं श्री मुकेश बेलापुरकर अभिभाषक आवेदक
श्री राकेश कुमार निगम, अभिभाषक, अनावेदक कं 1
श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक कं 3,4,6,7,8,9

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/07/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–04–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर तहसीदार रामपुर अनावेदक मुन्ना ने आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया। तहसीलदार रामपुर बघेलालन प्रभारी वृत्त सज्जनपुर के प्रकरण कमांक 130/अ–6/06–07 में पारित आदेश दिनांक 06–4–10 में संलग्न प्रकरण कमांक 129/अ–6/06–07 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना के समक्ष पेश की। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 22–2–11 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण कमांक 121/अपील/09–10 एवं 59/अपील/09–10 दोनों अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 25–4–16 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये। अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी फूलमती थी उसकी मृत्यु के पश्चात आवेदक ने वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 06–4–2010 को आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया। अनावेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 22–2–11 द्वारा निरस्त की गई, परन्तु अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त ने तहसील के जिस आदेश दिनांक 29–9–07 को यथावत रखा है वह आदेश अपर कलेक्टर के प्रकरण कमांक 324/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 24–12–2007 से निरस्त किया जा चुका था। अपर कलेक्टर के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं देने से वह अंतिम हो गया है। तर्क में यह भी कहा कि अनावेदक कमांक 1 ने अपनी वसीयत को किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। अपर आयुक्त ने मात्र वसीयत के फोटोकॉपी के आधार पर नामांतरण आदेश पारित करने में त्रुटि की है जबकि आवेदक की वसीयत अंतिम

वसीयत है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ आवेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि भूमिस्वामी फूलमती ने प्रश्नाधीन भूमि की नोटरी के समक्ष दिनांक 10–6–2004 को अनावेदक कमांक 1 मुन्ना के पक्ष में वसीयत संपादित की थी। मृतक फूलमती की मृत्यु दिनांक 03–9–05 के पश्चात अनावेदक कमांक 1 ने तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण के लंबित रहने के दौरान आवेदक ने फर्जी हस्तलिखित वसीयत तैयार कर बाद में प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत की। आवेदक द्वारा बाद में फर्जी वसीयत तैयार की है जो बाद की सोच है। यह भी तर्क किया तहसील न्यायालय में दो वसीयतें प्रस्तुत की गई हैं जिसमें दाण्डिक न्यायालय द्वारा आवेदक की वसीयत को कूटरचित मानते हुये आवेदक को आरोपी माना है। अनावेदक कमांक 1 का स्वत्व घोषणा का वाद लंबित है। ऐसी स्थिति में आवेदक की कूटरचित वसीयत के आधार पर पारित नामांतरण आदेश को उचित नहीं माना जा सकता। इसलिए अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किया है। यह भी तर्क किया कि अनावेदक कमांक 1 ने मृतक फूलमती की देख रेख की तथा मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार किया। मृतक फूलमती की दोनों पुत्रियों लइची एवं छुटओ ने अपर आयुक्त के समक्ष अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में कथन कर वसीयत की पुष्टि की है। आवेदक ने वसीयत के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा आवेदक की वसीयत साक्ष्य से सिद्ध भी नहीं पाई गई है। तर्क में यह भी कहा कि तहसील न्यायालय में इस आशय की आपत्ति पेश की गई थी प्रकरण में दो वसीयतनामा संलग्न है। फुल्ली देवी के इलाहाबाद बैंक पर निशानी अंगूठा हस्ताक्षर के रूप दर्ज हैं ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ से दर्ज निशानी अंगूठा की जांच कराई जाये तो प्रकरण के निराकरण सही होगा परन्तु इस आपत्ति पर विचार किये तहसील न्यायालय ने अवैधानिक आदेश पारित किया है। जहां तक मूल वसीयत पेश करने का तर्क है अनावेदक कमांक 1 की मूल वसीयत सिविल प्रकरण में संलग्न है

जिसकी सत्यापित इस न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अपर आयुक्त के आदेश को स्थिर रखने का अनुरोध किया।

5/ अनावेदक कं 3, 4, 6, 7, 8, 9 के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि मृतक फूलमती की दोनों पुत्रियों लइची एवं छुटई ने अपर आयुक्त के समक्ष अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में वसीयत किये जाने के कथन किये हैं। यदि वसीयत के स्थान पर वारिसान नामांतरण होता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश को आवेदक शेरबहादुर ने अपर कलेक्टर के समक्ष चुनौती दी जिसपर अपर कलेक्टर सतना ने प्रकरण कमांक 324/निग./06–07 में पारित आदेश दिनांक 24–12–07 को निगरानी स्वीकार करते हुये तहसीलदार का आदेश निरस्त किया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि एक ही वादग्रस्त आराजियातों को लेकर प्रचलित उभय पक्ष के भिन्न–भिन्न प्रकरणों को एक साथ योजित कर सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत तलब कर उन्हें जबाव एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर दिया जाये, तदृपरांत संहिता के प्रावधानों के तहत गुण–दोष के आधर पर प्रकरण का निराकरण किया जाये। अपर कलेक्टर के आदेश के पश्चात तहसीलदार ने कार्यवाही प्रारंभ कर आवेदक के पक्ष में वसीयतकर्ता की ओर से निष्पादित अंतिम वसीयत को उचित पाते हुये आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 15–8–05 नोटराईज्ड है तथा तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत को साक्ष्यों से सिद्ध किया गया है। इसी कारण तहसीलदार ने आदेश दिनांक 06–4–10 से आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने उचित पाते हुये स्थिर रखा है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार रामपुर बाघेलान के आदेश दिनांक 13–9–07 को स्थिर रखा है जिसे पूर्व में ही अपर कलेक्टर सतना ने आदेश दिनांक 24–12–07 निरस्त किया जाकर प्रकरण

तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया था। अपर आयुक्त के समक्ष अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 24–12–07 को चुनौती नहीं दी गई थी तब ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 13–9–07 को स्थिर नहीं रखा जा सकता था। अपर आयुक्त द्वारा विधि विपरीत एवं क्षेत्राधिकार विहीन आदेश पारित किया है जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है। अनावेदक द्वारा स्वयं के पक्ष में हुई मूल वसीयत को किसी भी राजस्व न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं की है बल्कि इस न्यायालय द्वारा अनावेदक को निर्देशित किये जाने के बावजूद भी मूल वसीयत प्रस्तुत न करते हुये उसकी सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई। अनावेदक का किसी राजस्व न्यायालय में मूल वसीयत प्रस्तुत न करना भी संदेह उत्पन्न करता है। जहां तक अनावेदक अभिभाषक द्वारा उठाये गये न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रकरण पंजीबद्ध होने का प्रश्न है अभी प्रकरण विचाराधीन है मात्र प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य होने से दोष सिद्ध नहीं हो जाता है। अनावेदक व्यवहार न्यायालय से आवेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत को फर्जी एवं शून्य घोषित कराने के लिए स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित नहीं है कि यदि एक ही विचाराधीन भूमि के संबंध में दो वसीयत प्रस्तुत की जाती है तो उसपर निर्णय लेने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय के समक्ष यदि एक से अधिक वसीयत प्रस्तुत की जाती है तो राजस्व न्यायालय विधि के प्रावधानों के अनुरूप साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर वसीयत को सिद्ध पाते हुये नामांतरण के आदेश दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा निष्कर्ष भी विधि की मंशा के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 25–4–2016 निरस्त किया जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर